

प्रेस नोट- दिनांक- 02.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में हुई डकैती करने का प्रयास / फायरिंग करने की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुर नहर पुलिया के पास 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा थाना लालगंज में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी जैसे कई अपराधों में है संलिप्त

गिरफ्तार अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2024 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में वादी के घर में डकैती करने का प्रयास व फायरिंग कर घायल करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 415/24 धारा 331(8) BNS बनाम 05 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 02.10.2024 को थाना लालगंज के निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 छत्रपाल, का0 दुर्गा प्रसाद यादव, का0 विशाल यादव, का0 धर्मेन्द्र चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, रात्रि गश्त के दौरान के दौरान थाना लालगंज के मु0अ0सं0 415/24 धारा 331(8) BNS से संबंधित अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा पुत्र स्व0 सदानन्द मिश्रा निवासी ग्राम खैरा पूरे छेमी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचा 12बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं ओर मेरे अन्य साथियों राजेश उर्फ राजकुमार उर्फ बाबा उर्फ राजू उर्फ विनोद पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम बबूराहीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़, अजय उर्फ अन्नू उर्फ विनय पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी ग्राम बबूराहीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़, मुस्तफा खान मूसा पुत्र इब्राहिम खान निवासी ग्राम रामपुर बावली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, कमलाकान्त उर्फ भुइला पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम चिरौंजी का पुरवा बटौली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के साथ ग्राम पंडित का पुरवा मजरे खैरा पुरे छेमी में एक घर में छिपकर बैठे थे कि गांव वालों ने हमें घेर लिया था। हम लोग फायरिंग करते हुये अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में सफल हो गये थे। थाना लालगंज पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभियुक्त वृन्दावन मिश्रा पुत्र स्व० सदानन्द मिश्रा निवासी ग्राम खैरा पूरे छेमी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु०अ०सं०- 06/2022 धारा 307,399,402 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

2- मु०अ०सं०- 507/2021 धारा 380,411,457 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

3- मु०अ०सं०- 415/24 धारा 331(8) BNS व 3/25आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. 01 देशी तमंचा 12 बोर बरामद

02. 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

पुलिस टीम-

निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ०नि० विवेक कुमार यादव, उ०नि० दीपक कुमार यादव, का० छत्रपाल, का० दुर्गा प्रसाद यादव, का० विशाल यादव, का० धर्मेन्द्र चौधरी थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को थानाक्षेत्र के अमरगढ़ बाजार पट्टी रोड़ से गिरफ्तार किया
गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर वादी की पुत्री को दहेज को लेकर आरोपीगणों द्वारा हत्या करने
के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 80, 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी
एक्ट बनाम 05 नामजद अभियुक्त व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा
रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी
श्री आनन्द कुमार राय व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम
त्रिपाठी मय हमराह का0 कैलाश यादव, का0 वीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, विवेचना के दौरान मुखबिर की
सूचना पर अभियुक्त 01- आशिक अली पुत्र पप्पू उर्फ मो0 शमीम ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़, 02- पप्पू उर्फ मो0 शमीम पुत्र अफजल राइन निवासी ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़ को दिनांक 02.10.2024 को थानाक्षेत्र के अमरगढ़ बाजार पट्टी रोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त 01- आशिक अली पुत्र पप्पू उर्फ मो0 शमीम, 02- पप्पू उर्फ मो0 शमीम पुत्र अफजल राइन
निवासीगण ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को को मु0अ0सं0 248/2024 धारा 80, 85
बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश
किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01- आशिक अली पुत्र पप्पू उर्फ मो0 शमीम ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
02- पप्पू उर्फ मो0 शमीम पुत्र अफजल राइन ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 कैलाश यादव, का0 वीरेन्द्र यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद
प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण/ दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के महुली नहर पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार
घटना का संक्षिप्त विवरण-

थानाक्षेत्र कोतवाली नगर निवासी वादिनी के जेठ की पुत्री का अपहरण / दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में दि0-17.03.2024 को अन्तर्गत धारा 363/366/504/506 भा0द0वि0 बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह का0 सितिन कुमार देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, पेंडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 363/366/376/504/506 भा0द0वि0 व 3 /4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त हरिभजन सिंह पुत्र रामसागर निवासी ग्राम ढिडुई थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के महुली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिभजन सिंह पुत्र रामसागर निवासी ग्राम ढिडुई थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 संदीप कुमार तिवारी मय हमराह का0 सितिन कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।